77

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

DV 479358

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्साधिकारी,मीरजापुर सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति मीरजापुर
द्वितीय पक्ष मेसर्स, माँ शारदा टूर एण्ड ट्रेवल्स, ठेकमा आजमगढ़
(सेवा प्रदाता) मालिक का नाम– पवन चौरसिया

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमो हेतु वाहनो के संचालन के संबंध में आज दिनांक–26.02.2018 को जनपद मीरजापुर में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक–01.03.2018 से 31 मार्च, 2020 तक अथवा अगली निविदा होने तक के लिए होगी।

1. द्वितीय पक्षकार जनपद मीरजापुर के समस्त विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय पर **"विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों"** हेतु वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:–

- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन बोलेरो/स्कार्पियो एवं अन्य इसी प्रकार की वाहन निम्नानुसार उल्लिखित कार्यक्रम एवं दर के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालय में निम्नानुसार स्वीकृत दरों सभी कर सहित प्रति माह की किराये की दर पर उपलब्ध करायेगा।
  - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में रू0–29700.00(रू0 उन्तीस हजार सात सौ) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन हेतु रू0–29700.00(रू0 उन्तीस हजार सात सौ) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम में रू0–22500.00(रू0 बाईस हजार पॉच सौ) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम में रू0–20250.00(रू0 बीस हजार दौ सौ पचास) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम में रू0–27000.00(रू0 सत्ताईस हजार) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - आर0एन0टी0सी0पी0कार्यक्रम में रू0–24750.00 (चौबीस हजार सात सौ पचास) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - मण्डलीय क्वालिटी कन्सलटेन्ट हेतु रू0–31500.00(रू0 इकत्तीस हजार पॉच सौ) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - मण्डलीय अरबन हेल्थ को–आर्डिनेटर हेतु रू0–27000.00(रू0 सत्ताईस हजार) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
  - एन0यू0एच0एम0 सेल हेतु रू0–9000.00 (रू0 नौ हजार) मात्र प्रतिमाह प्रति वाहन की दर पर।
- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए:–
  - ➢ वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
  - ➢ वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
  - ➢ वाहन अनुबंध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
  - ➢ वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
  - ➢ वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
  - ➢ प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 होना अनिवार्य होगा।
  - ➢ दुर्घटना होन पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।
- वाहन के संचालन एवं रख–रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

Maa Sharda Tour & Travels
Prop.

Surendra Kumar
Chief Medical Officer
MIRZAPUR

- वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 1200.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी मीरजापुर के नाम रू0 348000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
3. कार्यक्रमो के मॉनिटरिंग एवं सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार–प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।
4. द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/अन्य कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
5. द्वितीय पक्ष को वाहनो का संचालन प्रथम पक्ष एवं उसके द्वारा आवंटित कार्यालय के प्रभारी के नियन्त्रण एवं उनके निर्देशन में किया जायेगा। तथा वाहनों के उपयोगिता एवं लागबुक आदि का सत्यापन इन्ही अधिकारियो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन की वाहन का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जायेगा तथा वाहन को संबंधित ईकाईयों प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश एवं प्लान के अनुसार वाहन द्वारा माह में कम से कम 2000 किमी0 चलने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि वाहन 2000 किमी0 अथवा 25 दिन से कम चलती है तो वाहन जितने दिन चली होगी उतने दिन का भुगतान किया जायेगा।
7. आर0बी0एस0के0 के वाहनों का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जायेगा तथा टीम के माईक्रोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज हेतु संदर्भित बच्चो को ले जाना होगा। सन्दर्भन एवं फील्ड विजिट न होने पर अन्य निर्दिष्ट कार्य कराये जाने तथा वाहन द्वारा माह में कम से कम 1000 किमी0 चलने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। यदि वाहन 1000 किमी0 अथवा 25 दिन से कम चलती है तो वाहन जितने दिन चली होगी उतने दिन का भुगतान किया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहनों का संचालन विभिन्न कार्यक्रमों में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। यदि भविष्य में नियम एवं शर्तो में राज्य स्तर से कोई परिवर्तन प्राप्त होता है तो अनुबन्ध अवधि में उन शर्तो का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
9. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
10. द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर वाहनो की उपलब्धता कम से कम प्रातःकाल निर्धारित समय से 08 घण्टे तक सुनिश्चित की जानी होगी।
11. वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. किसी अधिकारी, मेडिकल अथवा अन्य किसी को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
15. अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल मीरजापुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–मीरजापुर
दिनांक– 26-02-2019

हस्ताक्षर........................ Surendra Kumar
(प्रथम पक्ष)
Chief Medical Officer
MIRZAPUR

Maa Sharda Tour & Travels
Prop.
हस्ताक्षर........................
(द्वितीय पक्ष)

गवाह–
1. .... Subhash Singh, Steno CMO office
2. .... Deepak Verma - Hemiple O/C

Supportive Supervision Vehicle Hiring-Block wise information 2018-19						
S.N.	**Name of Division**	**Name of District**	**Block Name**	**Vehicle No.**	**Date of Hiring**	**Agreement copy attached**
1	Vindhyachal	Mirzapur	**Chilh**	UP66 U 6249	01.03.2018	Yes
2			**Kachhawan**	UP63 T 9810	01.03.2018	Yes
3			**Shikhar**	UP65 FT 4392	01.03.2018	Yes
4			**Gursundi**	No		No
5			**Vijaypur**	UP66 T 6121	01.03.2018	Yes
6			**Lalganj**	UP70 GT 9999	01.03.2018	Yes
7			**Haliya**	UP63 T 9452	01.03.2018	Yes
8			**Patehara**	UP66 U 6949	01.03.2018	Yes
9			**Rajgarh**	UP50 BT 5673	01.03.2018	Yes
10			**Pandri**	UP63 AT 3185	01.03.2018	Yes
11			**Chunar**	UP65 DT 7224	01.03.2018	Yes
12			**Jamalpur**	UP50 BT 4161	01.03.2018	Yes

Chief Medical Officer
Mirzapur

Supportive Supervision Vehicle Hiring- District Level information 2018-19							
S.N.	**Name of District**	**Name of Agreement Signing officer**	**Vehicle No.-1**	**Date of Hiring**	**Vehicle No.-2**	**Date of Hiring**	**Agreement copy attached**
1	Mirzapur	CMO Mirzapur	UP50 BT 1666	01.03.2018	UP63 W 8990	01.03.2018	Yes

Chief Medical Officer
Mirzapur

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Division Level information 2018-19					
S.N.	**Name of Division**	**Name of Agreement Signing officer**	**Vehicle No**	**Date of Hiring**	**Agreement copy attached**
1	Vindhyachal	CMO Mirzapur	UP63 T 3519	01.03.2018	Yes

Chief Medical Officer
Mirzapur